

न्यायालय: श्री कौलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला - बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-982 / 2012

संस्थित दिनांक-03.12.2012

फाईलिंग क्र. 234503000312012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बैहर,

जिला-बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

// विरुद्ध //

कोमलसिंह पिता निर्मलसिंह, उम्र-50 वर्ष, जाति गोंड,

निवासी-ग्राम मोहबट्टा, थाना बैहर,

जिला-बालाघाट (म.प्र.)

आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक-11/08/2015 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-354 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-04.11.2012 को दोपहर 1:30 बजे, ग्राम मोहबट्टा, अंतर्गत आरक्षी केन्द्र बैहर में फरियादी प्रमिलाबाई जो कि एक स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया।

2- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी प्रमिलाबाई ने दिनांक-04.11.2012 को पुलिस थाना बैहर आकर यह रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह ग्राम मोहबट्टा में रहती है तथा मजदूरी का कार्य करती है। उक्त दिनांक को वह अपने मकान में थी, तभी उसके गांव में रहने वाला आरोपी कोमलसिंह आया और उसे पीछे से पकड़ लिया और उसका सीना दबाने लगा और उसे गलत काम करने के लिए कहने लगा। वह चिल्लाई तो आरोपी ने उसे जमीन पर गिरा दिया, परंतु पास के खेत में काम कर रही विभा बाई ने बीच-बचाव किया तो आरोपी मौके से भाग गया। उसने घटना अपने पति को बताई थी। उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-158/12, अंतर्गत धारा-354 भा.द.वि. का अपराध कायम करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा घटनास्थल का नजरी नक्शा बनाया गया। साक्षियों के कथन लिये गये एवं आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-354 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह हैं कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-04.11.2012 को दोपहर 1:30 बजे, ग्राम मोहबट्टा, अंतर्गत आरक्षी केन्द्र बैहर में फरियादी प्रमिलाबाई जो कि एक स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

विचारणीय बिन्दु का निष्कर्ष :-

5— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी प्रमिलाबाई (अ.सा.2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को जानती है। घटना उसके बयान देने के तीन वर्ष पूर्व की है। वह अपनी बाड़ी में बरबट्टी तोड़ रही थी, जहां आरोपी से उसका मौखिक वाद-विवाद हो गया था, जिसके संबंध में उसने प्रदर्श पी-2 की रिपोर्ट पुलिस थाना बैहर में लिखाई थी, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। पुलिस ने उसका चिकित्सीय परीक्षण नहीं कराया था और न ही उसके बयान लेख किये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इंकार किया कि घटना दिनांक को आरोपी ने उसे पीछे से पकड़कर जकड़ लिया था और उसका सीना दबाया था। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया कि आरोपी ने उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा था। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 में उसने उपरोक्त बातें लिखाई थी। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया कि पुलिस ने नजरीनक्शा प्रदर्श पी-4 उसके समक्ष बनाया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसका आरोपी से राजीनामा हो गया है।

6— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी डॉक्टर एन.एस. कुमरे (अ.सा.1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-04.11.2012 को वह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उसी दिनांक को महिला आरक्षक रानी द्वारा आहत श्रीमती प्रमिलाबाई पति दीपक मेरावी

को उसके समक्ष परीक्षण हेतु लाया गया था। आहत ने अपने बाएं स्तन में दर्द होना बताया था। आहत ने पीठ में व कलाई में भी दर्द होना बताया था, परंतु उसने आहत के शरीर में कोई भी बाहरी चोट नहीं पाई थी। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने पुनः स्वीकार किया कि उसने आहत के शरीर पर कोई भी चोट नहीं पाई थी।

7— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी रामभजन साहू (अ.सा.3) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-04.11.2012 को पुलिस थाना बैहर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उसी दिनांक को फरियादी प्रमिलाबाई ने थाने आकर आरोपी के विरुद्ध प्रदर्श पी-2 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराई। उसने आहत को चिकित्सीय परीक्षण हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर भेजा था, जिसका मुलाहिजा फार्म प्रदर्श पी-1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने विवेचना की कार्यवाही अपने मन से थाने में बैठकर की है।

8— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-354 का अपराध किये जाने का अभियोग है। फरियादी साक्षी प्रमिलाबाई (अ.सा.2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह कहा है कि उसका आरोपी से मौखिक वाद-विवाद हुआ था, जिसके संबंध में उसने पुलिस थाना बैहर में रिपोर्ट लेख कराई थी। साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी ने उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उसका सीना दबाया था। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया कि आरोपी ने उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा था। प्रकरण में चिकित्सीय साक्षी डॉक्टर एन.एस. कुमारे (अ.सा.1) ने घटना दिनांक को उसने आहत के शरीर पर किसी भी प्रकार की चोट नहीं आने के कथन अपने न्यायालयीन परीक्षण में किया है। विवेचक द्वारा संपूर्ण विवेचना की कार्यवाही को न्यायालयीन परीक्षण में प्रमाणित किया है, परंतु स्वयं फरियादी ने स्वीकार किया कि उसका आरोपी से राजीनामा हो चुका है एवं आरोपी ने घटना दिनांक को उसके साथ लज्जा भंग करने के आशय से आपराधिक बल प्रयोग नहीं किया था और न ही उस पर हमला किया था। ऐसी स्थिति में आरोपी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-354 का अपराध किये जाने के तथ्य सन्देह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते। फलस्वरूप आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-354 के अंतर्गत अपराध में सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

9— प्रकरण में आरोपी दिनांक—10.08.2016 से दिनांक—11.08.2016 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा है। इस संबंध में पृथक से धारा—428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

10— आरोपी अभिरक्षा से प्रस्तुत किया गया है, उसके जेल वॉरंट पर टीप अंकित की जावे कि यदि किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे तत्काल रिहा किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित
कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया।
किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित

बैहर,
दिनांक—11.08.2016

(श्रीष कैलाश शुक्ल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट